73

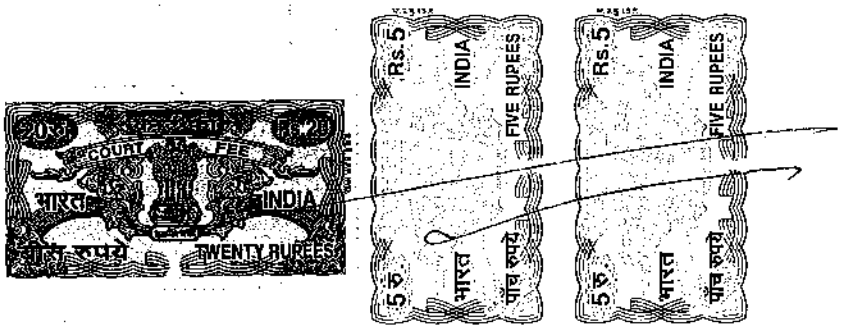

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक   /2016 जिला–खण्डवा   अ/J 1278–PBR–16

रामनाथ पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी – ग्राम प्रतापपुरा तहसील खिरकिया थाना छिपावढ जिला हरदा (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा– पुलिस थाना हरसूद

...... प्रत्यर्थी

श्री ...... द्वारा आज दि. 21-4-16 प्रस्तुत
21-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालि

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 113/बी–121 /2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 47 (ख) के अधीन अपील।</u>

21/4/16

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला खण्डवा का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अपीलार्थी के वाहन क्रमांक एम.पी. 47 टी 0250 महेन्द्रा बुलेरो को पुलिस थाना हरसूद द्वारा धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम में मिथ्या आधारो पर बनावटी प्रकरण बनाते हुये अपराध क्रमांक 203/2015 में दिनांक 21.06.2015 को जब्त कर लिया गया है एवं जब्तशुदा वाहन को राजसात करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रेषित किया है।
3. यहकि, अपीलार्थी द्वारा अपना जबाव अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला खण्डवा में वाहन के कागजात सहित प्रस्तुत किया था। तथा बताया था कि उक्त अपराध से अपीलार्थी का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। तथा अपीलार्थी ने अपना वाहन भाडे पर किरायेनामा लिखाते हुये बालकदास पिता प्यार सिंह नायक निवासी बैलभराडी को दिया था उक्त किरायेनामा की छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी। किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है यह अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, अपीलार्थी जब्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा शासकीय कागजात में उसका नाम दर्ज है इसलिये वह वाहन अन्तरिम सुपुर्दनामे पर लेने का सक्षम व्यक्ति है। क्योंकि थाने में वाहन के रख रखाव की व्यवस्था नहीं है तथा वाहन से प्राप्त होने वाली आय से अपीलार्थी का भरण पोषण होता है ऐसी स्थिति में उसकी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1278 PAR/16 जिला – खंडवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–4–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा जप्तशुदा वाहन महेन्द्रा जीप के एवज में तीन लाख रूपये की बैंक गारंटी देने पर आवेदन का वाहन सुपुर्दगीनामा आवेदन स्वीकार किया गया है । आवेदक इस स्थिति में नहीं है कि वह बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सके क्योंकि बैंक गारंटी तभी प्राप्त होती है जब आवेदक बैंक में राशि जमा करे । आवेदक अपना भरण पोषण महेन्द्रा जीप के माध्यम से कर रहा है । उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि बैंक गारंटी के स्थान पर अचल संपत्ति की जमानत लेकर आवेदक की जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी में देने के निर्देश जिलाध्यक्ष को दिये जायें । 2/ आवेदक के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताये गये तर्क न्यायोचित प्रतीत होते हैं अतः कलेक्टर के आदेश में आंशिक संशेधन करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक से बैंक गारंटी के स्थान पर अचल संपत्ति की गारंटी प्राप्त करें और आवेदक अथवा उसके जमानतदार द्वारा तीन लाख रूपये की अचल संपत्ति की जमानत प्रस्तुत की जाती है तो उसका जप्तशुदा वाहन उसे सुपुर्दगी में दिया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है सदस्य	